

१८

न्यायालय उपजिलाधिकारी, खेरागढ़ जिला आगरा

वाद सं १४/१५-१५

श्रीमती मिथिलेश

वनाम

द्वारा अपूर्ण भूमि कुल किता-६

उ०प्र०सरकार

अन्तर्गत धारा-१४३ ज०वि०अधि०

मौजा सिकन्दरपुर

तहसील खेरागढ़ जिला आगरा।

मिति-१८-५-१५

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र दिनांक १५-०४-१५ पर प्रारम्भ हुयी। आवेदिका का कथन है कि वह मौजा सिकन्दरपुर तहसील खेरागढ़ जिला आगरा के खाता सं० ३६६ के गाटा सं० ११७० रकवा १-००१० है० में से १/२ भाग रकवा ०-५००५ है० व गाटा सं० ११६९ रकवा ०-३३१० का १/२ भाग ०-१६५५ है० व खाता सं० ४९४ के गाटा सं० ११७७ रकवा ०-५०७० व गाटा सं० ११९४ रकवा ०-६२२० व गाटा सं० ११८९ रकवा ०-५४२० का पूर्ण भाग तथा खाता सं० २०९ के गाटा सं० १११५ रकवा ०-४४३० है० भूमि कुल किता-६ कुल रकवा २-७८०० है० भूमि लगान ५५-८० रुपये भाग में कोई फसल नहीं बोई है, तथा उक्त भूमि पर चिकित्सालय निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उक्त भूमि को अकृषकीय प्रयोग में लेना चाहते हैं। उक्त भूमि को अकृषकीय घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। आवेदिका द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक, सैंया से आख्या मॉगी गई, राजस्व निरीक्षक, सैंया ने नियम-१३५(१) ज०वि०अधि० के तहत नियत प्रारूप के साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुये लिखा है कि प्रश्नेगत सम्पत्ति मौजा सिकन्दरपुर के खाता सं० ३६६ के गाटा सं० ११७० रकवा १-००१० है० में से १/२ भाग रकवा ०-५००५ है० व गाटा सं० ११६९ रकवा ०-३३१० का १/२ भाग ०-१६५५ है० व खाता सं० ४९४ के गाटा सं० ११७७ रकवा ०-५०७० व गाटा सं० ११९४ रकवा ०-६२२० व गाटा सं० ११८९ रकवा ०-५४२० का पूर्ण भाग तथा खाता सं० २०९ के गाटा सं० १११५ रकवा ०-४४३० है० भूमि कुल किता-६ कुल रकवा २-७८०० है० भूमि लगान ५५-८० रुपये भाग भूमि पर प्रार्थीया का नाम बतौर सं०भ० के रूप में अंकित है तथा मौके पर काविज व दखील है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, जिसमें कुकुट पालन व मत्त्य पालन भी है, के प्रयोग में नहीं आ रही है। उक्त पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त कराई है। उक्त भूमि में मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, पक्ष को सुनने के उपरान्त मैंने पत्रावली का सम्यक परीक्षण किया कि मौजा सिकन्दरपुर के खाता सं० ३६६ के गाटा सं० ११७० रकवा १-००१० है० में से १/२ भाग रकवा ०-५००५ है० व गाटा सं० ११६९ रकवा ०-३३१० का १/२ भाग ०-१६५५ है० व खाता सं० ४९४ के गाटा सं० ११७७ रकवा ०-५०७० व गाटा सं० ११९४ रकवा ०-६२२० व गाटा सं० ११८९ रकवा ०-५४२० का पूर्ण भाग तथा खाता सं० २०९ के गाटा

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा खेरागढ़ के खाता सं० ३६६ के गाटा सं० ११७० रकवा १-००१० है० में से १/२ भाग रकवा ०-५००५ है० व गाटा सं० ११६९ रकवा ०-३३१० का १/२ भाग ०-१६५५ है० व खाता सं० ४९४ के गाटा सं० ११७७ रकवा ०-५०७० व गाटा सं० ११९४ रकवा ०-६२२० व गाटा सं० ११८९ रकवा ०-५४२० का पूर्ण भाग तथा खाता सं० २०९ के गाटा




TRUE COPY

SECRETARY

S.R.S. Ayurvedic Medical College And Hospital
Shikandarpur, Gwalior Road, AGRA



प्राप्ति करने वाले का नाम
कृष्ण प्रताप
प्राप्ति करने वाले के नाम
जगदेव 37/11/13
प्राप्ति करने वाले का नाम
मिशन 62/13/13




प्राप्ति करने वाले 37/13/13
प्राप्ति करने वाले 26/11/13
प्राप्ति करने वाले 21/11/13
दैयरी का दिनांक 22/11/13
स्थायी नाम
संख्या संगमगढ़ 30
उद्देश्य निरीक्षण हेतु
नक्काश देख का दिनांक 22/11/13

सत्य प्रतिलिपि

खुबी राम काल 26/11/13
अधिकारी अधिकारी का नाम
खुबी राम काल

खुबी राम काल
खुबी राम काल
खुबी राम काल



ATTESTED PHOTO COPY
KHUBI RAM KAL
Notary Advocate A.C.
26/11/13 M
SECRETARY
S.R.S. Ayurvedic Medical College And Hospital
Shikandarpur, Gwalior Road, AGRA

Apr